नीलामी की सूचना

ार्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु जिला न्यायालय अमरोहा में स्थित शेष दुकानों/स्टालों के ठेको की नीलामी की कार्यवाही खुली बोली के आधार पर दिनांक 17.02.2022 को जिला न्यायालय अमरोहा स्थित वीडियो कान्फ्रेन्य रूम में समय शाम 04:00 बजे की जानी है। जिला न्यायालय अमरोहा में स्थित दुकानों/स्टालों तथा नीलामी की शर्तो का विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0सं0	दुकान/स्टाल का नाम	धरोहर धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-2022 के लिये निर्धारित की गयी न्यूनतम धनराशि
1	भोजनालय	40234 /-	402336 /-
2	फोटो स्टेट1-	25289 /-	252890 /-
3	फोटोग्राफी	28084 /-	280841 /-
4	पान स्टाल1-	9389 /-	93885 /-
5	जूस स्टाल	20631 /-	206305 /-
6	मिल्कबार	3328 /-	33275 /-
7	स्टेशनरी स्टाल	855 /-	8549 /-
8	कम्प्यूटर टाईपिंग	16517 /-	165165 /-
9	पान स्टाल2-	9317 /-	93170 /-
10	फोटो स्टेट2-	22627 /-	226270 /-
11	साईकिल स्टैण्ड	215765 /-	2157650 /-
12	टी स्टाल	82500 /-	825000 /-

नीलामी की शर्ते व नियम निम्न प्रकार होंगेः

01 ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु दिनांक 1 अप्रैल 2022 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक होगी।

02 नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक 16.02.2022 को दोपहर 02:00 बजे तक धरोहर धनराशि जमा कर सांय 04:00 बजे तक नीलामी में सम्मिलित हो सकते है।

03 न्यायालय परिसर में नशीली व अन्य अवैध वस्तुऐं नहीं बेची जायेंगी।

04 ठेकेदार बिजली, पानी तथा अन्य सभी व्यवस्थाए एवं स्टाल संबंधी अस्थाई व्यवस्था स्वयं करेंगे।

05. ठेके से सम्बन्धित किसी भी विवाद पर जिला न्यायाधीश महोदय का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

06. नीलामी ठेका पक्ष में होने पर ठेकेदार को नियमानुसार 100 रू0 के स्टाम्प पर ठेकानामा लिखना होगा, उसे इस सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समय-समय पर पारित होनें वाले आदेशों का पालन करना होगा।

07. ठेकेदार को ऐसे दो व्यक्ति को जमानतदार के रूप में नाम पता मय आधार कार्ड साथ प्रस्तुत करेंगा, धनराशि जमा न करने पर जमानतदारों से धनराशि बसूल की जायेगी।

08. यदि एक ही बोलीदाता एक से अधिक दुकान/स्टाल की बोली में भाग लेना चाहता है तो उसे प्रत्येक दुकान/स्टाल के लिए अलग-अलग धरोहर राशि जमा करनी होगी। यदि बोलीदाता को दुकान/स्टाल का ठेका नहीं मिलता तो उसकी सुरक्षा धनराशि वापस कर दी जायेगी।

09. प्रत्येक ठेकेदार को ठेके कि धनराशि का 25 प्रतिशत प्रथम किशत के रूप में तुरंत जमा करना होगा तथा शेष धनराशि प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी।

10- किसी व्यक्ति के पक्ष में नीलामी एक बार स्वीकार करने पर निरस्त नहीं की जायेगी। यदि बोलीदाता नीलामी का प्रथम त्रैमास की किश्त जमा करनें के उपरान्त ठेका चला नहीं पाता है तो उसका ठेका निरस्त कर उसकी धरोहर निरस्त कर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।।

11- ठेका अवधि पूर्ण होने पर 31 मार्च 2023 के अपना सामान ठेकेदार स्वयं उठायेंगे एवं भूमि का कब्जा प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नजारत अनुभाग को उसी अवस्था में देंगे जिस अवस्था में उसे प्रदान किया गया था।

12- सफल बोली दाता की धरोहर राशि चतुर्थ त्रैमास की किश्त में समायोजित की जावेगी।

13- आपराधिक व अवांछित प्रवृत्ति, पूर्व में ठेके की किश्त न जमा करनें वाले व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों के जमानतियों का बोली में भाग लेना वर्जित है। ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आने पर जिला न्यायधीश महोदय द्वारा किसी भी समय बिना नोटिस दिए ठेके को निरस्त किया जा सकता है।

14 - प्लास्टिक, पालिथीन व धूम्रपान की वस्तुएं व ज्वलनशील पदार्थ बेचना जिला न्यायालय परिसर में पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

15- प्रत्येक वस्तु की मूल्य-सूची ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय नजारत अनुभाग को उपलब्ध करानी होगी। सफल बोलीदाता को ठेका स्वीकृत होने पर जितनी धनराशि का ठेका स्वीकृत हुआ है उतनी ही धनराशि की स्वयं के नाम पर दर्ज चल-अचल सम्पत्ति के दस्तावेज की छायाप्रति केंद्रीय नजारत में उपलब्ध कराने होगें।

16—खाद्य पदार्थ की वस्तुयें मानक के अनुरूप होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ की जाँच ठेके की अवधि में किसी भी समय कराई जा सकेगी। खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उसकी धरोहर राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा जिसका समस्त क्षेत्राधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय के सम्मुख रहेगा।

17- ठेकेदार खाद्य पदार्थों के मूल्यों की एक सूची ठेके के स्थान पर चस्पा करेगा एवं उक्त सूची में अंकित खाद्य पदार्थों के मूल्य से अधिक दर पर बिक्री नहीं करेगा।

18- जनपद न्यायाधीश महोदय ठेके की नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले अवांछनीय व्यक्ति का ठेका बिना किसी कारण के निरस्त कर सकते है एवं उससे कम नीलामी की बोली लगाने वाले उपयुक्त व्यक्ति का ठेका स्वीकार कर सकते है।

04/02/2022

(एस0 पी0 सिंह)
अध्यक्ष
नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ
अमरोहा।

दिनांक -